रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण

२४६० { श्री प्र० ना० सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पुनर्गठन के पश्चात् रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारण के बारे में विभिन्न रेलवे महा संघों ने समान सिद्धान्तों और प्रक्रिया को अपना लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विभिन्न रेलों ने कौनसी भिन्न-भिन्न पद्धतियां अपना रखी हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि एक ही रेलवे में वरिष्ठता निर्धारण के लिये दो विभिन्न प्रक्रियायें हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो किन रेलों और किन विभागों में दो विभिन्न प्रक्रियायें अपनाई गई हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, केवल भूतपूर्व सौराष्ट्र रेलवे के कर्मचारियों को छोड़ कर ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६].

(ग) जी हा ।

(घ) पश्चिम रेलवे में मिलायी गयी भतपूर्व सौराष्ट्र लेलवे के सभी विभागों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ।

Fixation of Wheat Prices in Punjab

2461. Shri Ram Krishan Gupta: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether the negotiations with Punjab Government for fixation of new wheat price have been concluded;

(b) if so, the result of negotiations; and

(c) the new price fixed?

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): (a) to (c). The whole question of purchase of wheat by the Government including the fixation of suitable procurement prices, is engaging the attention of the Government of India. The Punjab Government will be consulted in due course.

टेलीफोन डायरेक्टरी

२४६२. श्री भक्त दर्शन: क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९५८ में दिल्ली में जो टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित हुई थी, वह कई ग्राहकों को फरवरी, १९५९ के प्रथम सप्ताह तक भी नहीं मिल पाई थी ;

(ख) यदि हा, तो देरी हो जाने का क्या कारण था ;

(ग) भविष्य में उस डायरेक्टरी का संशोधित सस्करण ग्राहकों को तत्काल पहुँचाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही रही है ; और

(घ) डायरेक्टरी को हिन्दी में भी प्रकाशित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस में छापी गयी थी । चूंकि इस प्रेस को सरकार के और दूसरे जरूरी और जल्दी के काम भी करने थे, अत: ग्राहकों को डायरेक्टरी की प्रतियां देने में अनिवार्य देरी हो गई ।

(ग) दिल्ली की टेलीफ़ोन डायरेक्टरी के आगामी संस्करणों को किसी प्राइवेट प्रेस में छापे जाने का प्रस्ताव है ।